मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक–04.12.2024 को अपराह्न 04:00 बजे से मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की 10वीं बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली संख्या–01

कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की दिनांक–23.01.2023 को सम्पन्न नवम् बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि (कार्यावली संख्या–05, 06, 07, 08 एवं 10 को छोड़कर)।

निर्णय– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–02

कार्यकारी समिति की दिनांक–23.01.2023 को सम्पन्न नवम् बैठक की कार्यावली संख्या–05, 06, 07, 08 एवं 10 में प्रदत्त निदेश के आलोक में समिति की अनुशंसा/ मंतव्य प्राप्त होने के उपरांत तदनुरूप प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासी निकाय की आगामी बैठक में उपस्थापित किया जायेगा।

निर्णय– कार्यकारी समिति की दिनांक–23.01.2023 की बैठक की कार्यावली सं0–08 में गठित समिति का पुर्नगठन कर समिति के समक्ष कार्यावली प्रस्तुत की जाय एवं समिति की अनुशंसा के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाय।

कार्यावली संख्या–03

नियोजित कर्मियों की सेवा योजना अवधि तक विस्तारित करने के संबंध में

(i) बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या–2224 दिनांक–11.12.2023 द्वारा कार्यहित में संविदा अवधि 07(सात) वर्ष को 01(एक) वर्ष बढ़ाकर 08(आठ) वर्ष किया गया है, जिसपर शासी निकाय का घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

(ii) वर्तमान में कार्यरत कई कर्मियों की संविदा अवधि 08(आठ) वर्ष (समय–समय पर विस्तारित) से अधिक होने के कारण सभी नियोजित कर्मियों की सेवा 08(आठ) वर्ष से बढ़ाकर योजना अवधि तक करने के प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– कंडिका–(i) अनुमोदित।

कंडिका–(ii) कार्यावली संख्या–02 में लिये गये निर्णय के आलोक में पुनर्गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं समिति की अनुशंसा के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाय।

कार्यावली संख्या–04

Phase VII की नियुक्ति प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति

कार्यकारी समिति की दिनांक–23.01.2023 को सम्पन्न नवम् बैठक की कार्यावली सं0–07 के निर्णय के आलोक में Phase-VII के विज्ञापित पदों के विरूद्ध सभी संबंधित विभागों सहित अन्य सभी विभागों से अधियाचित पदों की नियोजन हेतु कार्यअवधि सहित प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है।

कार्यकारी समिति का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय– सभी संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार अपने स्तर से नियुक्ति/नियोजन करेगें। बिहार विकास मिशन द्वारा वर्तमान में विज्ञापित रिक्तियों को विलोपित करते हुये नये नियुक्ति/नियोजन की कार्रवाई नहीं की जायेगी।
(अनुपालन– सभी संबंधित विभाग एवं बिहार विकास मिशन)

कार्यावली संख्या–05

बिहार विकास मिशन के वित्तीय वर्ष 2023–24 (सभी 38 DRCC सहित) के Internal Audit हेतु R. N. Mishra & Co. का तथा Statutory Audit एवं Tax Audit and ITR Filing हेतु P. Jyoti & Co. का चयन विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया, जिस पर शासी निकाय के घटनोत्तर अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– शासी निकाय की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसित।

कार्यावली संख्या–06

वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में प्राप्त उपबंधित/आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रशासी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया जा चुका है।

शासी निकाय के अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित। मिशन के नियमावली के अनुसार शासी निकाय के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

कार्यावली संख्या–07

बिहार विकास मिशन (सभी 38 DRCC सहित) का वित्तीय वर्ष 2022–23 का सांविधिक अंकेक्षण (Statutory Audit) का कार्य CA Firm-Chanakya Ashok & Co. द्वारा किया गया है। उक्त सांविधिक अंकेक्षण से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

शासी निकाय के अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– शासी निकाय की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसित।

कार्यावली संख्या–08

बिहार विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 (अप्रैल–सितम्बर) में हुए आय–व्यय की विवरणी निम्नवत है :–

FINANCIAL SUMMARY REPORT for FY 22-23, FY 23-24 and FY 24-25 (Apr-Sep)						
	Opening Balance	FUND Received During the F.Y.	TOTAL Available Fund	TOTAL Expenditure	Returned/ Surrendered to Department	Closing Balance
FY 22-23 Audited	29,29,96,652.09	81,03,10,234.00	1,10,33,06,886.09	72,67,70,849.50	3,06,75,484.00	34,58,60,552.59
FY 23-24 Audited	34,58,60,552.59	58,65,04,275.00	93,23,64,827.59	66,03,86,752.00	0.00	27,19,78,075.59
FY 24-25 (01 Apr-30 Sep)	27,19,78,075.59	58,48,56,047.00	85,68,34,122.59	23,41,60,504.00	2,04,77,785.00	60,21,95,833.59

शासी निकाय के अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– शासी निकाय की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसित।

कार्यावली संख्या–09

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवशेष राशि ₹25,96,80,181.00 मात्र को वित्तीय वर्ष 2023–24 में तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष राशि ₹27,69,42,724.25 मात्र को वित्तीय वर्ष 2024–25 में सक्षम प्राधिकार (मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन) से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत व्यय किया गया है।

शासी निकाय के अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित। मिशन के नियमावली के अनुसार शासी निकाय के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

कार्यावली संख्या–10

वित्तीय वर्श 2023–24 एवं 2024–25 हेतु बजट उपबंध

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा प्राक्कलित कुल ₹99,53,00,000/–(निन्यानवे करोड़ तिरपन लाख रूपये मात्र) के विरूद्ध बिहार विकास मिशन के लिए कुल राशि ₹90,00,00,000/–(नब्बे करोड़ रूपये मात्र) का बजट उपबंध किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा प्राक्कलित कुल राशि ₹100,20,00,000/– (सौ करोड़ बीस लाख रूपये मात्र) के विरूद्ध बिहार विकास मिशन के लिए कुल राशि ₹90,00,00,000/–(नब्बे करोड़ रूपये मात्र) का बजट उपबंध किया गया है।

शासी निकाय के अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– शासी निकाय की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसित।

कार्यावली संख्या–11

बिहार विकास मिशन के बैंक खाता में वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 अर्जित ब्याज की राशि राजकोष में जमा करने के संबंध में।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2575 दिनांक–14.05.2020 के आलोक में बिहार विकास मिशन के बैंक खाता में उपलब्ध राशि पर अर्जित ब्याज की राशि ₹1,35,28,202/–(एक करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार दो सौ दो रूपये) मात्र को सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत राजकोष में जमा किया गया है।

शासी निकाय के अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित। मिशन के नियमावली के अनुसार शासी निकाय के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

कार्यावली संख्या–12

बिहार विकास मिशन द्वारा आवंटित सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के बैंक खाते में वित्तीय वर्ष 2016–17 से अद्यतन अर्जित ब्याज की राशि को राजकोष में जमा करने के संबंध में।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2575 दिनांक–14.05.2020 के आलोक में अर्जित ब्याज की राशि ₹2,04,77,785/–(दो करोड़ चार लाख सतहत्तर हजार सात सौ पचासी रूपये) मात्र को राजकोष में जमा कर दिया गया है।

शासी निकाय के अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा प्रार्थित है।

निर्णय– कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित। मिशन के नियमावली के अनुसार शासी निकाय के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

कार्यावली संख्या–13

बैठक में 7 निश्चय एवं 7 निश्चय–2 से संबंधित योजनाओं का उप मिशनवार प्रस्तुतीकरण किया गया। इस क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अपनी योजनाओं के संबंध में प्रतिवेदित तथ्य एवं इस संबंध में बैठक में दिये गये निदेश निम्नवत हैं:–

1. युवा उप मिशन

❖ **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना**

- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का कुल लक्ष्य 85,000 है। पूर्व से 12,828 आवेदन लंबित है, जबकि अभी तक 69,239 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक 50,374 आवेदन स्वीकृत किए गए है, 24,865 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 27,800 आवेदन ऋण वितरण हेतु विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।
- समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि यह योजना शिक्षा विभाग की है, जबकि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का प्रशासी विभाग वित्त विभाग है। परिणामस्वरूप योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में कठिनाइयाँ परिलक्षित हो रही हैं। इस क्रम में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि योजना के बेहतर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को शिक्षा विभाग के प्रशासी नियंत्रण में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है।

निर्णय लिया गया कि –

(i) स्वीकृति एवं ऋण वितरण हेतु लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन कराया जाए।

(ii) बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को शिक्षा विभाग के प्रशासी नियंत्रण में स्थानान्तरित करने पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(iii) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखते हुए संस्थानवार लाभुकों की सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाए जिसका एक लिंक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन–वित्त/शिक्षा विभाग)

❖ **<u>मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना</u>**

- वर्ष 2024–25 में कुल लक्ष्य 2,00,000 के विरुद्ध 49,646 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उन युवाओं को दिया जाता है जो इंटर/+2 के बाद अध्ययन जारी नहीं रखते हैं। वर्तमान में युवाओं के द्वारा उच्चतर शिक्षा की ओर अग्रसर होने के कारण योजना में कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

निर्णय लिया गया कि विज्ञापन के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारियों को शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करने हेतु निदेशित किया जाय।

(अनुपालन–योजना एवं विकास विभाग)

❖ **<u>कुशल युवा कार्यक्रम</u>**

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 7,25,438 आवेदक प्रशिक्षण हेतु प्रतीक्षारत हैं। इनमें से 2,95,739 आवेदक दो वर्षों से अधिक समय से प्रशिक्षण हेतु लंबित हैं। इस सम्बन्ध में सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि यह संख्या वैसे आवेदकों की है जिन्होंने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर निबंधन कराया, किन्तु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक नहीं हैं। उच्चतर शिक्षा हेतु बाहर जाने के कारण या लड़कियों की शादी हो जाने के कारण कई आवेदक कुशल युवा केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नही हो पाते हैं। इन सभी 2,95,739 आवेदकों को प्रतीक्षारत आवेदकों की सूची से Delist करने की कार्रवाई की जा रही है।
- बताया गया कि 48 कुशल युवा केंद्र ऐसे हैं जहाँ विगत तीन माह से कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि इन सभी केंद्रों को नोटिस दिया गया है एवं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
- 31 प्रखंडों में एक भी प्रखंड कौशल विकास केन्द्र संचालित नहीं होने के सम्बन्ध में बताया गया कि 31 प्रखंडों में से दो प्रखंड में केंद्र संचालित किया जा चुका है, 17 के लिए निविदा प्रकाशित की जा चुकी है तथा तीन केंद्रों के भवन मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही सभी प्रखंडों में प्रखंड कौशल विकास केन्द्र संचालित कर लिया जाएगा।

निर्णय लिया गया कि कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्रों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाए। दो वर्षो से अधिक समय से लंबित आवेदनों को शीघ्र Delist कर प्रशिक्षुओं की वास्तविक सूची ही प्रदर्शित की जाए। साथ ही कुशल युवा कार्यक्रम के आवेदकों तथा स्वंय सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत कुशल

युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण में आने वाले आवेदकों की सूची वेबसाइट पर अलग–अलग प्रदर्शित की जाए। कुशल युवा कार्यक्रम का Course Content आवश्यकतानुसार Employability के अनुसार संशोधित करने पर कार्य किया जाय।

(अनुपालन–श्रम संसाधन विभाग)

❖ **राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना**

- श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है। अबतक कुल 2970 छात्र–छात्राओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिनमें से 1874 को रोजगार भी उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में 1200 छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय चरण के 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में Center of Excellence संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है। जून, 2025 तक इस हेतु भवन तैयार कर लिए जाएँगे।
- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किए गए **MOA** की समीक्षा अपेक्षित है जिसमें Hub एवं Spoke Model के अवयवों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु विभाग द्वारा अलग से एक प्रस्तुतीकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी संस्थानों में प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–श्रम संसाधन विभाग)

❖ **हर जिले में मेगा स्किल सेंटर**

- मिशन निदेशक के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कोई भी कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण में ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना के साथ MoU कर मेगा स्किल सेंटर संचालित किये जाने की योजना है। योजना से सम्बन्धित Detail Project Report (DPR) अगली लोक वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

निर्णय लिया गया कि योजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही मेगा स्किल सेंटर का संचालन प्रारंभ किया जाय।

(अनुपालन–श्रम संसाधन विभाग)

❖ **हर प्रमंडल में टूल रूम**

- सचिव, उद्योग विभाग के द्वारा बताया गया कि 5 जिलों यथा– सारण, दरभंगा, रोहतास, नालंदा एवं पूर्णियाँ में टूल रूम योजना अंतर्गत एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके लिए संबंधित जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक स्थल उपलब्ध करा दिया गया है।

निर्णय लिया गया कि टूल रूम/EC की शीघ्र स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–उद्योग विभाग)

❖ **राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटाबेस का संधारण**

- समीक्षा के क्रम बताया गया कि प्रवासी श्रमिकों के आंकड़ों के संकलन का कार्य पंचायत सचिव के माध्यम से किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्गत है। सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि असंगठित मजदूरों के लिए भारत सरकार का एक पोर्टल 'ई–श्रम' पूर्व से कार्यरत है जहाँ श्रमिकों के द्वारा डाटा अपलोड किया जाता है। अबतक बिहार के कुल 2.95 करोड़ मजदूरों का डाटा इस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

निर्णय लिया गया कि प्रवासी मजदूरों का पंचायतवार डाटाबेस के संधारण हेतु कार्रवाई की जाए। इस क्रम में 'ई–श्रम' पोर्टल के आँकड़ों का भी अवलोकन कर लिया जाए ताकि आँकड़ों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। इसे शीघ्र व्यापक उपयोग में लाया जाय।

(अनुपालन–श्रम संसाधन विभाग)

❖ **डिजिटल काउन्सलिंग सेंटर की स्थापना**

- समीक्षा के क्रम में सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्तमान संसाधनों के साथ विभाग डिजिटल काउन्सलिंग सेंटर की स्थापना करने में असमर्थ है।

निर्णय लिया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिष्ठित पेशेवरों की सेवा लेकर डिजिटल काउन्सलिंग सेंटर की स्थापना पर विचार किया जाय।

(अनुपालन–शिक्षा विभाग)

2. पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन

❖ **'हर घर नल का जल' निश्चय**

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि–

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत लक्षित 56,447 वार्डों में से 56,040 वार्डों में कार्य पूर्ण कराया गया तथा 407 वार्डों में कार्य पूर्ण कराया जाना शेष है।
- पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 58,003 वार्डों में से 57,834 वार्डों में कार्य पूर्ण है तथा 169 वार्डों में कार्य पूर्ण कराया जाना शेष है।
- शेष वार्डों में फरवरी, 2025 तक नल–जल योजना का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि–

- विभाग के तहत लक्षित 3,370 वार्डों में से 3,229 वार्डों में कार्य पूर्ण कराया गया तथा 141 वार्डों में कार्य पूर्ण कराया जाना शेष है, जिसमें से अधिकांश वार्ड दरभंगा, भागलपुर एवं गया जिले के हैं। शेष वार्डों में मार्च, 2025 तक नल–जल योजना का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

निर्णय लिया गया कि –

(i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत लक्षित 407 अपूर्ण वार्डों एवं पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 169 अपूर्ण वार्डों में नल–जल योजना का कार्य पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास किया जाए।

(अनुपालन – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत लक्षित 141 अपूर्ण वार्डों में नल–जल योजना का कार्य पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास किया जाए।

(अनुपालन – नगर विकास एवं आवास विभाग)

❖ **'घर तक पक्की गली–नालियाँ' निश्चय**

अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि–

- विभाग के तहत लक्षित 53 वार्डों में पक्की गली–नाली का कार्य पूर्ण कराया जाना शेष है जिसे मार्च, 2025 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।
- पक्की गली–नाली योजना के क्रियान्वयन से छूटे हुए बसावटों के सर्वेक्षण हेतु विभाग स्तर पर तैयारी की जा रही है।

निर्णय लिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा नये अथवा छूटे हुए बसावटों में सर्वेक्षण कर पक्की गली–नाली निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाए।

(अनुपालन – नगर विकास एवं आवास/ पंचायती राज विभाग)

❖ **'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' निश्चय –**

- बताया गया कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान' निश्चय के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लक्षित शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

निर्णय लिया गया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच वाले स्थानों को चिन्हित कर ऐसे स्थानों में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन – ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग)

❖ **'सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट' –**

विभाग द्वारा बताया गया कि –

- वर्ष 2024–25 तक 8,76,210 सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.04 लाख सोलर स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन किया गया है।
- पूर्व के प्रावधानों में सरलीकरण के पश्चात् सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु 17 नई एजेंसियों का चयन कर उनके साथ एकरारनामा किया गया है तथा उन्हें जिलावार लक्ष्य का आवंटन भी कर लिया गया है।
- दिसम्बर माह से प्रतिमाह 01 लाख सोलर स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024–25 तक लक्षित 8,76,210 सोलर स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

निर्णय लिया गया कि सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट के ससमय अधिष्ठापन हेतु ब्रेडा के साथ समन्वय के लिए नियमित बैठकें कर कार्यान्वयन पूर्ण किया जाए।

(अनुपालन – पंचायती राज विभाग)

❖ **'ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन' (ग्रामीण विकास विभाग)**

विभाग द्वारा बताया गया कि–

- लक्षित 139 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के निर्माण के विरूद्ध 167 इकाइयों का निर्माण किया गया है।
- लक्षित 38 गोबर–धन इकाई के विरूद्ध 31 इकाइयों का निर्माण किया गया है जिसमें से 15 क्रियाशील है।
- लक्षित 8,030 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के विरूद्ध 6,402 इकाइयों का निर्माण किया गया है।
- 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को प्राप्त राशि का 60 प्रतिशत स्वच्छता एवं पेयजल के लिये कर्णांकित है। स्वच्छता के लिये कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि का 10 प्रतिशत (लगभग 01 लाख रुपये प्रति पंचायत) Operation & Maintenance के लिये उपलब्ध है, जो अपर्याप्त है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के सफलतापूर्वक परिचालन हेतु वर्ष 2025 के लिये राज्य योजना मद से 354.8 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

निर्णय लिया गया कि –

(i) निर्मित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु विशेष अनुश्रवण की आवश्यकता है।

(ii) पंचायतों को Waste disposal के लिये संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग IEC (Information, Education & Communication) कार्यकलाप करें।

(अनुपालन – ग्रामीण विकास विभाग)

❖ <u>पूर्व की निश्चय योजना (हर घर नल का जल) का अनुरक्षण</u>

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि–

- राज्यव्यापी अभियान के तहत दिनांक 20 एवं 21 नवम्बर को कुल 1,13,497 जलापूर्ति योजनाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें लगभग 20 हजार योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयीं। इसमें से 12 हजार योजनाओं को मरम्मती के उपरान्त चालू किया गया है तथा शेष योजनाओं को 01 महीने के अन्दर मरम्मती के उपरान्त चालू कर दिया जायेगा।
- जलापूर्ति योजनाओं के क्रियाशीलता के अनुश्रवण हेतु सप्ताह में 02 दिन 'जीरो ऑफिस डे' की पहल की गयी है जिसके तहत जलापूर्ति योजनाओं के सभी पहलुओं का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- जलापूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता के अनुश्रवण हेतु App तैयार कर लिया गया है।

अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि–

- विभाग के तहत पुराने 141 नगर निकायों के लक्षित 3,370 वार्डों में से कार्य पूर्ण 3,229 वार्डों में 114 वार्ड अक्रियाशील है।
- 120 नवगठित एवं 49 विस्तारित नगर निकायों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं का हस्तांतरण अभी तक नगर विकास एवं आवास विभाग को नहीं किया गया है।

निर्णय लिया गया कि –

(i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा समय–समय पर सर्वेक्षण कराकर छूटी हुई एवं नई बसावटों को योजना का लाभ दिया जाए तथा जलापूर्ति योजनाओं की सतत् क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग को 120 नवगठित एवं 49 विस्तारित नगर निकायों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण के बिन्दु के समाधान हेतु दोनों विभागों की बैठक विकास आयुक्त के स्तर पर की जाए।

**(अनुपालन–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/
नगर विकास एवं आवास विभाग)**

❖ <u>'स्वच्छ शहर, विकसित शहर' –</u>

अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि–

- 'स्वच्छ शहर, विकसित शहर' के तहत वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल योजना का पटना को छोड़कर 37 जिला मुख्यालयों में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपस्करों/सामग्रियों का क्रय एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवश्यक मानव बल की व्यवस्था कर लिया गया है। आश्रयस्थलों में जीविका के माध्यम से भोजन का प्रबंध करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग की सहमति प्राप्त हो गयी है।

निर्णय लिया गया कि 7 निश्चय–2 के तहत 'स्वच्छ शहर, विकसित शहर' निश्चय अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं यथा– ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाहगृह सहित मोक्षधाम का निर्माण एवं सभी शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के विकास की समीक्षा हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्य सचिव के स्तर पर अलग से बैठक आहूत की जाए।

(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग)

3. <u>उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन</u>

उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022, मुख्यमंत्री युवा/महिला/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि:–

- **<u>बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022:–</u>** बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 के अंतर्गत अब तक प्राप्त कुल 12,941 आवेदन में से 588 स्टार्ट–अप को प्रमाणीकृत किया गया है एवं इसमें से 540 स्टार्ट–अप को प्रथम किस्त एवं 129 को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमाणीकरण के उपरांत 92% लाभार्थियों को प्रथम किस्त एवं केवल 24% लाभार्थियों को ही द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि प्रथम किस्त के भुगतान के पश्चात द्वितीय किस्त देने के पूर्व लाभार्थी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं SMIC (Start-up monitoring and implementation committee) की बैठक में अनुमोदन के पश्चात ही द्वितीय किस्त दिए जाने का प्रावधान है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कम हो जाती है।

निर्णय लिया गया कि प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की तुलना में द्वितीय किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कम होने के संबंध में विभाग स्तर पर समीक्षा कर ली जाय। जो लाभार्थी प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें द्वितीय किस्त की राशि देने हेतु शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान की कार्रवाई में तेजी लायी जाय।

(अनुपालन–उद्योग विभाग)

- **<u>मुख्यमंत्री युवा/महिला/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक उद्यमी योजना:–</u>**
  - ➢ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2,080 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 2,080 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,327 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 985 को द्वितीय किस्त एवं 585 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,000 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 1,882 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,530 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1,019 को द्वितीय किस्त एवं 199 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है।
  - ➢ मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2,020 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 2,020 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,293 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 986 को द्वितीय किस्त एवं 596 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,000 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 1,800 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,505 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1,075 को द्वितीय किस्त एवं 210 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है।
  - ➢ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2,047 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 2,047 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,423 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1,077 को द्वितीय किस्त एवं 599 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,000 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 1,959 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,656

लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1,147 को द्वितीय किस्त एवं 241 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है।

- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,970 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 1,970 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,390 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1,041 को द्वितीय किस्त एवं 618 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,000 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 1,977 आवेदकों का चयन किया गया, चयन के उपरांत 1,614 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1,079 को द्वितीय किस्त एवं 208 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना वर्ष 2023–24 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत वर्ष 2023–24 में 1,247 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 1,236 आवेदकों का चयन किया गया, जिसमें से 1,000 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 705 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 84 को अंतिम रूप से तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है।

उक्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि लाभार्थियों के अंतिम रूप से चयन के पश्चात प्रथम किस्त से तृतीय किस्त के बीच भुगतान प्राप्त लाभार्थियों की संख्या में काफी कमी आ रही है।

उद्यमी योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

निर्णय लिया गया कि जो लाभार्थी प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद द्वितीय एवं तृतीय किस्त प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके कारणों की समीक्षा की जाय एवं उनकी Hand Holding करने पर विचार करते हुए द्वितीय एवं तृतीय किस्त के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि लाने हेतु आवश्यक पहल की जाय। विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, अतः विभागीय स्तर पर समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि पर विचार किया जाए।

(अनुपालन–उद्योग विभाग)

- **बिहार लघु उद्यमी योजना** वर्ष 2023–24 में प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत सभी श्रेणी के लोगों के लिए 50,000 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 40,102 लाभार्थियों का चयन किया गया है जिसमें से 40,099 लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है।

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस योजना में लाभार्थियों को अब तक द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया है।

निर्णय लिया गया कि द्वितीय किस्त की राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि उक्त सभी योजनाओं की समीक्षा हेतु उद्योग विभाग द्वारा मुख्य सचिव के स्तर पर अलग से बैठक आहूत की जाए।

(अनुपालन–उद्योग विभाग)

4. आधारभूत संरचना उप–मिशन

❖ 07 निश्चय (घर तक पक्की गली नालियाँ)

- **ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना** – विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत मात्र 29 योजना लंबित है, जिसमें अधिकतर मामले भू–अर्जन से सम्बंधित है।

निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर इसका शीघ्र निष्पादन किया जाए एवं फ़रवरी, 2025 तक योजना को पूर्ण कर लिया जाए।

(अनुपालन—ग्रामीण कार्य विभाग)

❖ **07 निश्चय 2 (सुलभ संपर्कता)**

- **ग्रामीण पथों की सम्पर्कता** — विभाग द्वारा बताया गया कि योजना अभी प्रारंभ नहीं हो सकी है। योजना के उद्देश्य एवं विशिष्टियों पर वित्त विभाग द्वारा पुनः समीक्षा करने का निदेश दिया गया है।

  निर्णय लिया गया कि निश्चय के आलोक में शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाए ।

  (अनुपालन—ग्रामीण कार्य विभाग)

- **शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण** — विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत अब तक कुल 24 बाईपास पर कार्य चल रहा है, जिसमें 13 योजना पूर्ण, 05 योजना का कार्य प्रगति पर तथा 06 योजना विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

  निर्णय लिया गया कि चल रही योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाय। साथ ही उच्च पथों सहित अन्य पथों पर चिह्नित बाईपासों को भी इसमें शामिल किया जाए।

  (अनुपालन—पथ निर्माण विभाग)

5. कृषि उप मिशन

❖ **हर खेत तक सिंचाई का पानीः—**

- **जल संसाधन विभागः—** विभाग द्वारा बताया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अंतर्गत लक्षित 604 योजना जिसका कमांड क्षेत्र 1,19,063 हेक्टेयर है, के विरूद्ध 594 योजना जिसका कमांड क्षेत्र 1,18,493 हेक्टेयर है, का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। शेष 10 योजनाओं का कार्य मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- **लघु जल संसाधन विभागः—** विभाग द्वारा बताया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने हेतु 25,790 योजनाओं जिसका कमांड क्षेत्र 5,44,788 हेक्टेयर है, का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से 6,560 योजनाओं का कार्य प्रारंभ है जिसका अनुमानित कमांड क्षेत्र 1,85,205 हेक्टेयर है। अब तक 4,039 योजना जिसका अनुमानित कमांड क्षेत्र 1,33,432 हेक्टेयर है, का कार्य पूर्ण हो गया है एवं इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। शेष योजनाओं का कार्य जून, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- **कृषि विभागः—** विभाग द्वारा बताया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने हेतु कुल लक्ष्य 1,853 योजनाओं जिसका कमांड क्षेत्र 26,902 हेक्टेयर है, के विरूद्ध सभी योजनाओं का कार्य प्रारंभ है। अब तक 1,173 योजना जिसका अनुमानित कमांड क्षेत्र 17,965 हेक्टेयर है, का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष योजनाओं को मई, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- **ग्रामीण विकास विभागः—** विभाग द्वारा बताया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने हेतु मनरेगा के माध्यम से 832 योजनाओं जिसका कमांड क्षेत्र 46,431 हेक्टेयर है, का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से 643 योजनाओं का कार्य प्रारंभ है। अब तक 605 योजना जिसका अनुमानित कमांड क्षेत्र 36,940 हेक्टेयर है, का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष योजनाओं को जून, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागः**— विभाग द्वारा बताया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने हेतु 99 योजनाएँ जिसका कमांड क्षेत्र 2,334 हेक्टेयर है, का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें से 21 योजनाएँ जिसका कमांड क्षेत्र 573 हेक्टेयर है, का कार्य प्रारंभ है। सभी योजनाओं को मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

निर्णय लिया गया कि –

(i) हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना से संबंधित सभी विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

(ii) लघु जल संसाधन विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति काफी धीमी है, जिसमें तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

(iii) हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अन्तर्गत विभागों द्वारा डिजिटल ऐप/पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियाशीलता के अनुश्रवण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

(अनुपालन– जल संसाधन/ लघु जल संसाधन/ कृषि/ ग्रामीण विकास/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागः–

- **मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना** – विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–25 के लिए कुल लक्ष्य 2,200 हेक्टेयर में मत्स्य पालन के विरूद्ध अब तक 954.36 हेक्टेयर पर चौर विकास का कार्य किया गया है। साथ हीं, **निजी तालाब का जीर्णोद्धार/विकास की योजना** के लिए कुल लक्ष्य 450 हेक्टेयर के विरूद्ध 176.44 हेक्टेयर की उपलब्धि हासिल की गयी है तथा 75.40 हेक्टेयर के लिए कार्यादेश निर्गत है।
- **सुधा डेयरी विपणन तंत्र का विस्तार योजना** – विभाग द्वारा बताया गया कि 600 होल डे मिल्क बूथ का निर्माण के विरूद्ध अब तक 165 मिल्क बूथ का निर्माण करा लिया गया है।
- **नये दुग्ध सहकारी समितियों के गठन** के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि लक्षित 7,000 समितियों के विरूद्ध 5,118 समितियों के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा मार्च, 2025 तक शेष समितियों का गठन पूर्ण कर लिया जायेगा।

निर्णय लिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए ससमय निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालन– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

- **प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था** – विभाग द्वारा बताया गया कि Location Distribution Study कर ली गयी है। वर्तमान में 1,135 पशु अस्पताल संचालित है। अतिरिक्त 91 पशु अस्पतालों की स्थापना की आवश्यकता परिलक्षित हुई है, जिसमें 86 पशु अस्पतालों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है। शेष हेतु संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त चिह्नित 91 पशु अस्पतालों की स्थापना हेतु विभाग स्तर से शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

6. मानव विकास उप मिशन

❖ **निश्चयः – अवसर बढ़े, आगे पढ़ें**

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि –

- सात निश्चय के तहत अब तक 51 ए०एन०एम० संस्थान, 17 जी०एन०एम० संस्थान, 22 पारामेडिकल संस्थान, 04 फार्मेसी कॉलेज तथा 06 बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है, जिनमें से 50 ए०एन०एम० संस्थान, 17 जी०एन०एम० संस्थान, 20 पारामेडिकल संस्थान, 04 फार्मेसी कॉलेज तथा 06 बी०एस०सी०नर्सिंग कॉलेज संचालित है।
- बेगूसराय एवं सीतामढ़ी में ए0एन0एम0 संस्थान के निर्माण, बेगूसराय एवं शिवहर में जी0एन0एम0 संस्थान के निर्माण तथा बेगूसराय एवं शिवहर में पारा–मेडिकल संस्थान के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।
- इन संस्थानों के संचालन हेतु सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गयी है।

निर्णय लिया गया कि बेगूसराय एवं सीतामढ़ी में ए0एन0एम0 संस्थान का निर्माण कार्य, बेगूसराय एवं शिवहर में जी0एन0एम0 संस्थान का निर्माण कार्य तथा बेगूसराय एवं शिवहर में पारा–मेडिकल संस्थान का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ कराया जाय।

(अनुपालन– स्वास्थ्य विभाग)

❖ **उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन**

सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि–

- इन्टर उत्तीर्ण अविवाहित कन्याओं को भुगतान हेतु वर्ष 2024–25 का लक्ष्य 5,50,217 निर्धारित है जिसमें से अबतक 3,19,242 कन्याओं को प्रति अविवाहित कन्या 25,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी गयी है।
- स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को भुगतान हेतु वर्ष 2024–25 का लक्ष्य 1,66,980 निर्धारित है जिसमें से अबतक 65,000 छात्राओं को प्रति छात्रा 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री कन्या (इन्टर/स्नातक) प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्राओं को राशि अंतरित किये जाने हेतु द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से बजट उपबंध प्राप्त कर लिया गया है। शीघ्र ही भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

निर्णय लिया गया कि लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध उपलब्धि के अंतर (Gap) को शीघ्र कम किया जाय।

(अनुपालन– शिक्षा विभाग)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30.12.24

(अमृत लाल मीणा)
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति
–सह–
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–बि0वि0मि0–स्था0(बैठक)–01/23...15......., पटना, दिनांक–...03/01/25

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/ अध्यक्ष, उप–मिशन–सह–विकास आयुक्त, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

ज्ञापांक–बि0वि0मि0–स्था0(बैठक)–01/23...15......., पटना, दिनांक–...03/01/25

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन/अपर निदेशक(प्रोग्राम मॉनिटरिंग) एवं अपर निदेशक(प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन)/सभी उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

ज्ञापांक–बि0वि0मि0–स्था0(बैठक)–01/23...15......., पटना, दिनांक–...03/01/25

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग/आई0टी0 मैनेजर, बिहार विकास मिशन को Website पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव